न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 02/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/7

अपीलान्ट :–

श्रीमति सोनी पुत्री जेठा पत्नी स्वं. रामचंद जाति माली निवासी मालियों का बडा बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. कालुराम पुत्र जेठाराम जाति माली निवासी बेरा मगरीया सोजत तहसील सोजत जिला पाली
2. तहसीलदार सोजत (भूमिधारक) राजकीय भूमि तहसील सोजत

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सरदार सिंह बारहठ।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सोनी।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह लवाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 04/07/2025

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम सोजत चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 537 दिनांक 02.06.1971 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट स्व. जेठाराम की जायन्दा पुत्री है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की सगी बहन हैं। अपीलाण्ट के स्व. पिता जेठाराम की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सोजत के चक द्वितीय में पुराने सेटलमेन्ट के खसरा संख्या 807 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा व खसरा संख्या 808 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2006 व 2007 है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा मेंहन्दी की फसल लगाई हुई है जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट का आधा आधा हिस्सा हैं। जब अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 537 स्वीकृत किया गया तब अपीलाण्ट की उम्र 15 वर्ष तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की उम्र 08 वर्ष थी तथा पटवारी ने बिना कोई जांच किये विधिविरूद्ध तरीके से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण पर आर.आई. ने रिपोर्ट कि की धारा 133 का उल्लघन हुआ हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.01.

अति. जिला कलेक्टर पाली

2024 को होने पर नियम समयावधि में जैर अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2024(2)RRT 1240, 2016(1)RRT 371, 2024(1) RRT 179, RRD 1998 page 465, 2013(2)RRT 1284, RRD 1989 45 पेश कर विधिविरूद्ध स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का निवेदन किया हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम सोजत के खसरा संख्या 1992 में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के मध्य समझौता होने से 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट को दे दिया। अपीलाण्ट ने 53 वर्ष तक कोई क्लेम नहीं किया। अपीलाण्ट की शादी तथा समस्त कार्य रेस्पोडेण्ट द्वारा किये गये और अपीलाण्ट अब केवल स्वार्थवस, बिना स्वच्छ हाथों के न्यायालय में पेश हुये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि उक्त आदेश में नियम 133 की पालना नहीं हुई हैं जबकि मौके पर कब्जा हमारे पास है और अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में सूचना दे दी गयी थी। यदि अपीलाण्ट को कोई आपत्ति होती तो पेश करते परन्तु उनके द्वारा ऐसे कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। जैर अपील आदेश वर्ष 1971 में स्वीकृत हुआ। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 2007 का बेचाण जरिये पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 05.10.2010 के द्वारा किये जाने पर अपीलाण्ट ने आपत्ति पेश की, जो कि धारा 39 के नोट के तहत अंकित हैं अर्थात् अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 05.10.2010 को होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट ने जैर अपील 13 वर्ष बाद पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 80 RRD (NUC) 222, 2007 SC 2624, 2023 Rev. Board order dated 12-04-2023, 05-04-2024 पेश कर बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर अपील को खारिज करने का निवेदन किया हैं।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1971 में दर्ज किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद प्रार्थना–पत्र में अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें दिनांक 08.01.2024 को हुई तथा समस्त प्रतिलिपि प्राप्त कर नियत समय में अपील पेश की गयी तथा अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की सगी बहन है, इसलिये म्याद का बिन्दु गौण हैं। अपने कथनों की ताईद में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2024(2)RRT 1240 Govind vs Mahendra Kumar Sharma के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 एवं 84–अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने नामान्तरकरण के विरूद्ध लगभग

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

50 वर्ष के बाद अपील पेश की–अपीलीय न्यायालय ने विलम्ब माफ किया–पैतृक भूमि–सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार–अपील को केवल विलम्ब के आधार पर खारिज करना न्यायोचित नहीं है–निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं हैं। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2013(2)RRT 1284 Mhadi Devi (Mst.) & Ors. vs prahalad & Ors. के अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 84–मृतक बी की पुत्रीयों के नाम भूमि नामान्तरित नहीं की–पुत्रीयों द्वारा पेश अपील खारिज की – पुत्रीयों प्रथम श्रेणी की वारिसान है और मनमाने ढंग से छोड़ा नहीं जा सकता–ऐसे एक पक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नहीं है–घोषणा हेतु वाद पेश करने के लिए प्रार्थीयान को बाध्य नहीं किया जा सकता–मृत 'बी' के पुत्रों के आधे हिस्से की सीमा तक विक्रय प्रवर्तनीय है–निर्णीत, आदेश अपास्त किया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 06.10.2010 को ही गयी थी और अपीलाण्ट के सारे खर्चे तथा सामाजिक कार्यक्रमों का व्यय रेस्पोडेण्ट करते है। अतः अपीलाण्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर 13 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अपने कथनों की ताईद में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2007 SC 2624 D0Gopinathan Pillani vs State of Kerala And Another के अनुसार Limitation Act, 1963-Section 5-condonation of delay-3320 days- Application for setting aside the arbitration award-Learned Subjudge has committed gross negligence in not filing obejction for a long period of 3320 days and, therefore, for fault of officers, the State should not be penalized-held, when a mandatory provision is not complied with and when the delay is not properly, satisfactorily and convincingly explained, the Court cannot condone delay, only on sympathetic ground-delay cannot be condoned without assigning any reasonable, satisfactory, sufficient and proper reason-Orders passed by Sub-Judge and affirmed by High Court is set aside. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त RRD 1980 (NUC) 222 Laxmi Narayan vs Kana के अनुसार Mutation-appeal-Limitation Act, Sec. 5-Mutation, sanctioned on 20-08-60 by Sarpanch on basis of sale in st. 15-Appeal. filed on 28-05-76 alleging that land, never sold-delay, condoned by Addl. Collector on ground that notices, not issued at time or mutation-Revision, filed-Mutation order suffered form infirmities Delay was in-excusable-Partied belonged to same village and applicant has long been in possession and paying rent and his name, carried over in Jamabandi-Non-applicants, held guilty of laches-Suit for declaration and possession could have been filed by them within limitation to nullify effect of mutation-Mutation though illegal but not without jurisdiction because Sarpanch signs on behalf of GP-Addl. Collector, held not justified in condoning delay of 16 years where partied belonged to same village and land, situated therein- order of Addl. Collector, set aside. इसी प्रकार 2023 Rev. Board order dated 12-04-2023, 05-04-2024 में मियाद शमन के लिए उचित एवं पर्याप्त कारण तथा अनावश्यक विलम्ब को कण्डोन नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। हमारे द्वारा मियाद पर उभयपक्षों के कथनोपकथन का श्रवण व मनन किया तथा न्यायिक नजीरों का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

परिशीलन किया गया तथा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार किसी भी निर्वसीयती हिन्दु के मरणोपरान्त उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में उसकी पुत्र के अलावा उसकी पुत्रीयां भी शामिल होती हैं। इस प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 का उल्लंघन होकर पुत्रियों को विरासत से वंचित किया गया है तथा यह नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है क्योंकि इसमें विधि का उल्लंघन हुआ हैं तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई आदेश विधि विरूद्ध हुआ हो तो उस आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा इस प्रकरण में जैर नामान्तरकरण आदेश अविधिक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार ग्राम सोजत चक संख्या 2 के खसरा संख्या 2007 की भूमि का खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कालुराम द्वारा सुनिता देवी एवं रूकमादेवी के पक्ष में बेचाण करने के दौरान आपत्ति प्रस्तुत की, जो कि पंजीबद्ध बैचान के पृष्ट संख्या 5 की पुश्त पर धारा 39 के नोट के तहत अंकित हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक माह अक्टूबर वर्ष 2010 से ही थी हालांकि न्यायालय की दृष्टि से न्याय "Justice oriented approach" का होना चाहिये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने कई बार कहा हैं कि मामूली देरी न्याय से वंचित करने का आधार नहीं बननी चाहिए एवं यदि मामला वास्तविक हो, तो कोर्ट देरी माफ कर देता हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट Class-I heir है जिससे हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत अपीलाण्ट की स्थिति मजबूत होती है और अपीलाण्ट का अधिकार, केवल देर से अपील करने के कारण समाप्त नहीं हो सकता। नामान्तरकरण प्रविष्टि सम्पति के स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं, इसलिये संशोधन की जरूरत है ताकि रिकॉर्ड में वास्तविक उत्तराधिकारी का नाम हो, इस वजह से देरी को स्वीकार किया जा सकता हैं। प्राकृकित न्याय के सिद्धान्त के तहत बहन का नामान्तरकरण से वंचित रहना अन्याय होगा और विशेष परिस्थितियों में भी न्यायालय न्यायासंगत आधार पर देरी को स्वीकार कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Bhagmal vs Kunwar Lal (2010), Sesh Nath Singh (2021), Esha Bhattacharjee (2013) मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "Sufficient Cause" का अर्थ व्यापक हो सकता है, बशर्ते कोई लापरवाही या बदनीयती न हो। आधिकारिक आवेदन आवश्यक नहीं, मौखिक कारण भी न्यायोचित हो सकते हैं। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त N. Balakrishnan vs M. Krishnamurthy (1998) 7 SCC 123 के अनुसार विलम्ब की अवधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उस देरी के लिए दी गई वाजिब और ईमानदार वजह, यदि याचिकाकर्ता की मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं है और कारण पर्याप्त है, तो देरी माफ की जा सकती हैं अर्थात् न्यायालय ने कहा कि यदि स्पष्टीकरण विश्वसनीय है, तो देरी की अवधि लम्बी होने के बावजूद उसे स्वीकार किया जा सकता हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Collector, Land Acquisition vs Mst. Katiji & Others (1987 Air 1353) के अनुसार देरी को लेकर न्यायालय को उदारतापूर्वक (liberally) विचार करना चाहिए, जब तक यह स्पष्ट न हो कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

याचिकाकर्ता ने जानबूझकर या लापरवाही से देरी की, तब तक देरी को माफ किया जा सकता हैं। यह माना गया कि: "विवादी विलम्ब से अपील दायर कर कोई लाभ नहीं प्राप्त करता हैं, केवल तकनीकी आधार पर योग्य वाद को प्रारम्भ में ही खारिज करना न्यायसंगत नहीं है" अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने न्यायोन्तुख दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी, कि Delay Condonation का जिक्र करते समय Substantial Justice को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त Chandrabhaga Ladkya Choudhary vs Gajanan Arjun Gondhale (Maharashtra, 2024) में लगभग 52 साल की देरी थी, जिसमें SDM एवं Collector की ओर से अपील खारिज की गई, लेकिन Additional Commissioner ने न सिर्फ delay condone किया, बल्कि कहा कि "अगर मामला मेरिट में मजबूत हो, तो delay अस्वीकार्य नहीं होना चाहिए" और प्रकरण को पुर्नश्रमण के लिए वापस भेजा गया अर्थात् अपीलाण्ट के देरी के कारण उचित न हो, लेकिन मामला मजबूत हो और मूलधारात्मक रूप से वैध हो और प्रथमश्रेणी के अधिकार न्यायसंगत हो, तो न्यायालय देरी को Condone कर सकता है। साथ ही न्यायिक नजीर 2020(3) DNJ (SC) 817, 2011(1) RRT page 432, 2006 RRD 20 में यह निर्धारित किया गया कि नामान्तरकरण में विधिक वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित निर्णय के सन्दर्भ में यदि प्रभावित पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई हो तो मियाद गौण होती हैं। तथा 1994 RRD 215 में यह वर्णित किया गया है कि प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिये बिना जारी आदेश अविधिक होता है तथा उसे कभी भी अपास्त किया जा सकता हैं। यह निर्णय बताता है कि न्यायालयों को सामान्यतः देरी को क्षमा करने के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख रखना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में हो गयी थी, परन्तु प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिससे यह सुस्पष्ट हो सके कि जैर अपील प्रस्तुत करने में अपीलाण्ट की मंशा दुर्भावनापूवर्ण रही हों, साथ ही म्याद एक तकनीकी बिन्दु है तथा न्यायालय की दृष्टि से न्याय "Justice oriented approach" का होना चाहिये। अपीलाण्ट की मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होने से म्याद को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। यहां माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाईल्स इंडस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "ऑडी अल्टरम पार्टम, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का एक हिस्सा है, उसकी जड़ें मुख्य रूप से समानता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विचार में पाई जाती हैं। यह सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि किसी को भी निष्पक्ष और उचित सुनवाई के बिना निंदा, दंडित या उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मनमाने ढंग से निर्णय लेने के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, उचित प्रक्रिया के सिद्धान्त को कायम रखता है, जबकि न्यायसंगत और न्यायसंगत कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।" हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट का जेठा की पुत्री होने के तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। जब नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र रहा कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता स्व. जेठा की ग्राम सोजत II तहसील सोजत में कृषि भूमि आई हुई है, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2006, 2007 है। स्व. जेठा फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनके पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। साथ ही जैर नामान्तरकरण पर भी धारा 133 के उल्लंघन का नोट अंकित हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का दौराने बहस यह उज्र था कि जैर आराजी पर पिता की मृत्यु के बाद से लगातार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है, इसी कारण से उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। नामान्तरकरण विधि विरूद्ध किस प्रकार है, अपीलाण्ट ने सम्पूर्ण अपील में कोई आधार प्रकट नहीं किये हैं तथा धारा 133 किस कानून की धारा का उल्लंघन हुआ है, यह कहीं अंकित नहीं हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट जो कि स्व. जेठा की पुत्री है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 537 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया हैं। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड में स्पष्ट अंकित है कि "जेठा फौत हो जाने से उसके जायन्दे लडके कालू के नामान्तरकरण भरा गया।" रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक जेठा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 537 दिनांक 02.06.1971 को स्वीकार किया गया एवं जैर नामान्तरकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी सिर्फ मृतक के पुत्र को वारिस माना गया जबकि उसके अन्य पुत्री अपीलाण्ट भी है, जो प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होती हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट का पुत्री होना निर्विवाद एवं स्वीकृत स्थिति हैं। तद्नुसार अपीलाण्ट जो कि पुत्री है, उसे नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय कोई सुनवाई का अवसर दिया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैर नामान्तरकरण मौलिक एवं स्थापित विधि के विरूद्ध एक पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से बिना सुनवाई वंचित किया गया हैं। अतएव जैर नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या अविधिक है तथा अपास्त किये जाने के लिए पात्रता रखता हैं। इस सम्बन्ध में 1998 RRD 1998 Madho Singh vs Smt. Khama Kanwar & Ors. में यह वर्णित किया कि Hindu Succession Act, Section 8- on the demise fo N mutation to the extent of 1/4 Share in disputed land was attested by Gram Panchayat in favour of son M exclusively levaing behind widow and daughters-This order was cancelled by Addl. Divisional Commissioner-Revision-Held after the death of Hindu male, widow, daughter and sons get equal shares as per provisions of Section 8. पुत्री प्रथम श्रेणी की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विधिक वारिसान है उसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता तथा एकपक्षीय आदेश/नामान्तरकरण अविधिक हैं। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट, स्व. जेठा के विधिक उत्तराधिकारी/वारिशान होने के तथ्य को भी किसी रूप में नकारा नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृतक जेठा की विरासत में उनकी पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने जरिये पंजीबद्ध बेचाण दिनांक 06.10.2010 के द्वारा खसरा संख्या 2007 के रकबा 1.600 हैक्टेयर में से 0.228 हैक्टेयर की भूमि का बेचान सुनितादेवी एवं रूकमादेवी के पक्ष में कर दिया, जिसे क्रेता द्वारा आगे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया गया, जिसके अलग खसरा संख्या 2007/1 अंकित हो गये, इस कारण खसरा संख्या 2007 का रकबा 1.3772 हैक्टेयर शेष रहा जबकि अपीलाण्ट जैर अपील के द्वारा खसरा संख्या 2007 का पुराना रकबा 1.600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2006 रकबा 2.5300 हैक्टेयर भूमि पर स्व. जेठा के विधिक उत्तराधिकार की हद तक उसकी विरासत के नामान्तरकरण को अपने हक हिस्से तक स्वीकृत करवाने का निवेदन किया हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2013(2)RRT 1284 Mhadi Devi (Mst.) & Ors. vs prahalad & Ors. के अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 84–मृतक बी की पुत्रीयों के नाम भूमि नामान्तरित नहीं की–पुत्रीयों द्वारा पेश अपील खारिज की – पुत्रीयों प्रथम श्रेणी की वारिसान है और मनमाने ढंग से छोड़ा नहीं जा सकता–ऐसे एक पक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नहीं है–घोषणा हेतु वाद पेश करने के लिए प्रार्थीयान को बाध्य नहीं किया जा सकता–मृत 'बी' के पुत्रों के आधे हिस्से की सीमा तक विक्रय प्रवर्तनीय है–निर्णीत, आदेश अपास्त किया। प्रकरण में सिर्फ पुत्र के नाम खोला गया नामान्तरकरण एवं उसके विशिष्ट भाग का आगे से आगे किये हस्तानान्तरण के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण का प्रश्न है यह नामान्तरंकरण अपीलाण्ट पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि विधि के अनुसार उनके विधिक हिस्से तक किये गये कोई विक्रय उस पर प्रभावी नहीं हो सकते चाहे वह विक्रय पत्र हो या वसीयत या अन्य कोई हस्तानान्तरण। इसलिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से उन्हे जैर आराजी में विधिक उत्तराधिकार की हद तक हक अधिकार दिया जाना उचित हैं। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उत्तराधिकारी मानते समय विडम्बनापूर्ण तथ्य यह लिखा जाता है कि उसके परिवार के सामाजिक सरोकारों को पीहर पक्ष ने परिपूर्ण किया इससे वह पिता की सम्पति में उत्तराधिकार नहीं रखती, यह कदापि विधि सम्मत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों से किसी पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा जैर नामान्तरकरण संख्या 537 दिनांक 02.06.1971 जो कि विधि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विरुद्ध है, उसे अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार सोजत को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित करते है कि वे प्रकरण में अपीलाण्ट के विधिक उत्तराधिकार की हद तक उसकी विरासत के नामान्तरकरण का विनिश्चयन करे तथा उसे उसके हक तक की उसकी पैतृक सम्पति में उत्तराधिकार बाबत् नियमानुसार विधिक व गत सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली (राज.)